

संक्रांक : 115/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2010-11 दिनांक 26/06/2013

**अनुमति-पत्र**

यह अनुमति 6090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमे के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक गलन गानवित्त स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार का किसी स्वामीय नियामक या इतर कानूनीय अधिकारी का व्यक्ति अथवा फर्म के अधिकार अधिकारों पर किसी का कोई अंतर अथवा अबाध या अनुमति किसी के भित्तिभंग या स्वतंत्रता के अधिकारों के चेर कोई प्रभाव न रखेगी;

श्री गोकुल जादवानी, श्री मोहन जादवानी, श्री जितेन्द्र जादवानी, श्री राजेन्द्र जादवानी, श्री जोगेन्द्र जादवानी, श्री संजय जादवानी स्थल नजूल फी होल्ड उप-दिमाजित मूलखण्ड संख्या-30/5, 30/5 डिविजन स्थेशन, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति हेतु हस्तिल गलन गानवित्त के अर्थात् भवन पर निर्माण की अनुमति निम्नकेत शर्तियों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. 6090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 (1) के प्रावधानों के अनुसरण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तदनुसार ही सम्पन्न/अधिमोचन किया जाएगा, अतः निर्माण एवं विकास उपनियमि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया एवं कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. यह स्वीकृति अन्तर्गत (Provisional) स्वीकृति के अन्तर्गत होगी। निर्माण पूर्ण होने के तदनुसार, यद्यपि आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की पूर्ति पूर्ण करने के पश्चात्, पत्रित किए जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4x2 फिट का एक नोड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 21 अक्षर गूढ लगाने होंगे तथा गूढों को हरा-भरा स्थानों का पालना अधिनियम का होगा।
5. स्थल का अधिमोचन/संपन्नता स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, अतः यहाँ के लिए मैं मन्दीव निरस्त समझा जायेगा।
6. गार्डन स्थल पर कोई निर्माण अथवा शीशेकेडिंग अनुमत्य नहीं होगा। नर्सेरी वगैरह समेत अर्थात्-पुष्पा स्थल जमा।
7. मानवीय ग्यालर, में कोई कदम होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृति गानवीय स्वतंत्रता के निर्णय के अधीन होगी, स्वतंत्रता स्वीकृति के तहत ही विवाद पर गानवीय स्वतंत्रता निरस्त काय्या जायेगा।
8. यदि आवेदनक हल कोई महत्वपूर्ण सूचना अपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो 6090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत गानवित्त निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृति पत्र केवल ऑफ दिस की अर्थि के लिए है।
10. फलन निर्माण के यदि नाली के उत्थन की पट्टी अथवा सडक या नाली को किसी भाग (जो फलन के साथ गलन, पूरक नाला अथवा उत्थन के कारण उत्थन गये हों) को हलनी पहुँचे तो गूढस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और स्वीकृत तो पत्रित ही उसे उपरने खर्च से गलनता करवाकर पूर्णतः अन्तर्गत विकास प्राधिकरण को सन्तुष्ट हो जाय, मैं कर देगा।
11. फलन निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इम्प्लियम इलेक्ट्रिसिटी कलन 1956) नियम 82 का अर्थात्कन किसी भी दशा में न होना चाहिए, यदि वेक्या प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पर्य गये हों तब ऐसे निर्माण को रोक अथवा हलन सकता है।
12. यदि मूलखण्ड का उप-दिमाजित अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अधिमोचन विनियमनता द्वारा किया जाय, है तो इतिहासिक द्वारा नियमानुसार 6090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
13. आवेदनक को नियमानुसार वेक्या अधिमोचन को गपयन की नैव प्रत्य अथवा हल तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना गलन आशय होने से पूर्व देना होगा तथा उस आशय का नाम भी देना होगा किन्तु निरीक्षण में अन्तर्गत निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में गलत कानन क उत्थन होय पाया गया तो गेम्पिकर्न को ही यह स्वीकृति एवं स्वीकृति अथवा और किया गया निर्माण अन्तर्गत पत्रित कर उत्थन अधिनियम की धारा 21 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

*Sanjay Jadhavani*  
24/6/13  
(11) 7415324595

(मुद्रांकन धनी)  
संगुता रायि/प्र0अ0-भवन  
इलाहाबाद वेक्या प्राधिकरण,  
इलाहाबाद

